

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अह्मकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

19/09/25

पजापली पेरा। वकील शर्मा
उप। वास्ते तलबी रिपोर्ट
दिनांक 27/10/25 को पेरादी

SDD

27/10/25

पजापली पेरा। वकील शर्मा
उप। वास्ते तलबी रिपोर्ट
दिनांक 08/12/25 को पेरादी

SDD

08/12/25... जमानत बण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 20/01/26
को मिस हो

S.D.O.

16/01/26

पजापली आज शर्मा पत्र शर्मा
वकील व स्वयं शर्मा पर तलब होकर आज
पेश हुई। वकील शर्मा ने कम्पन किया की
प्रकरण में पक्षकारान में बाहमी तौर पर
राजीनामा है गया है। इसलिए पजापली की
कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। वकील शर्मा
व स्वयं शर्मा के निवेदन पर दावा वादी
स्वारीज किया जाता है। पजापली नम्बर
के कम होकर बाद उरी जमानत बण्डल

उत्तरवादी

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	बनवारी बनाम आशा प्रार्थना पत्र संख्या- 02/87/2025 11.08.2025 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 26 खसरा संख्या 167/834/0.05, 168/0.1900, 169/0.1500, 170/0.0400, खाता संख्या 151 खसरा संख्या 158/0.1900, 160/0.0600, 172/0.2500, 176/0.0900, 179/0.2100, 180/0.2500, 195/825/0.1300, 200/0.0300, 204/0.1500, 218/872/0.0700, 219/0.2400, 234/0.0600 खाता संख्या 323 खसरा संख्या 670/0.0900, 681/0.1400 खाता संख्या 324 खसरा संख्या 658/2546/0.0500, 674/0.1900, 972/0.1600, 673/0.1800, वाकै ग्राम बिरकडी तहसील टहला जिला अलवर को बिना तकसीम कराए किसी भी दीगर शर्खों को रहन बय हिवा आदि किसी भी प्रकार से मुतकिल का दस्तावेज पेश न करें। उक्त आराजी के कब्जे काशत में व्यवधान उत्पन्न करें। उनके हिस्सा मुताबिक उक्त आराजी के कब्जा काशत में फसल बोने जोतने काटने लाने ले जाने में किसी भी प्रकार की रुकावट वो मजाहमत पैदा नहीं करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी की मुताबिक जमाबन्दी आराजी खाता संख्या 26, 151, 323, 324, वाकै ग्राम बिरकडी तहसील टहला जिला अलवर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खाता संख्या 26 खसरा संख्या 167/834/0.05, 168/0.1900, 169/0.1500, 170/0.0400, खाता संख्या 151 खसरा संख्या 158/0.1900, 160/0.0600, 172/0.2500, 176/0.0900, 179/0.2100, 180/0.2500, 195/825/0.1300, 200/0.0300, 204/0.1500, 218/872/0.0700, 219/0.2400, 234/0.0600 खाता संख्या 323 खसरा संख्या 670/0.0900, 681/0.1400 खाता संख्या 324 खसरा संख्या 658/2546/0.0500, 674/0.1900, 972/0.1600, 673/0.1800, वाकै ग्राम बिरकडी तहसील टहला जिला अलवर में आगामी तारीख पेशी तक बेचान करने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थीगण को निदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करें। उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण को एकपक्षीय आदेश की तामील की टोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (3) के प्रावधानों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उक्त अन्तरिम आदेश को आयन्दा/आगामी तारीख पेशी पर विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को संशोधन/वैकैट कर दी जावेगा। इस संबंध में कोई आपक्ष हो तो दिनांक 19.09.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेशों की पालना एवं रास्ता खुलवावने व नवीन रास्ता चाहने के आदेशों, विधुत कनेक्शन व लाईन डालने तथा न्यायालय में विचाराधीन राको-रोडा व अन्य राजकिय वसुली के प्रकरणों में व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के क्रम में लागू नहीं होगी। (सुश्री सीमा मोना आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

19/09/25

पञ्चापली पेडा वकील
परवर्षी उपन। वास्ते तल की
अपार्षी दिनांक 27/10/25 को
पेडा हो।

8801

27/10/25

पञ्चापली पेडा वकील परवर्षी उपन।
वास्ते तल की अपार्षी दिनांक
08/12/25 को पेडा हो।

8800

08/12/25 अभिभावक मण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक ..22/01/26
को प्रस हो

8800

16/01/26

च आज ग्रह प्रा. पत्र मुलगाप
के साथ तलहा होकर पेडा। मुलगाप के
राजीनामा होने के कारण हाथ के खारीज
कर दिया गया है। इसलिए प्रा. पत्र 212
भी खारीज किया जाता है साथ ही हाजा
न्यायालय के उर्फ मोहरा दि. 11/08/25 को
भी खारीज किया जाता है पञ्चापली नम्बर
से कम होकर जमा हो।

परवर्षी

8800